गाजर मंडी की कवायद शुरू

श्रीगंगानगर, (कासं)। बजट में श्रीगंगानगर के लिए गाजर मंडी बनाने की घोषणा के बाद अब इस संबंध में कवायद तेज हो गई है।

मंडी समिति के संयुक्त निदेशक शिवसिंह भाटी ने इस संबंध में मंडी के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में बुधवार को हुई अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी चर्चा की। हालांकि भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति मिलने के बाद मंडी स्थापित होने का रास्ता खुल जायेगा।

श्रीगंगानगर और पंजाब के किसान कई साल से श्रीगंगानगर से सात किलोमीटर दूर गांव साधुवाली में गंगनहर के किनारे गाजर मंडी का संचालन कर रहे हैं। यहां किसान सीधे खेत से गाजर लाते हैं। नहर के किनारे मशीनें लगाकर इनकी धुलाई करते हैं और धुलाई हो जाने के बाद मौके पर होने वाली बोली में तय रेट के अनुसार इसकी बिक्री करते हैं।

मंडी जिस जगह लगती है वह स्थान पंजाब सीमा से भी करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में पंजाब के गांवों के लोग भी यहां गाजर बेचने आते हैं। कृषि उपज मंडी समिति के ज्वाइंट डायरेक्टर शिवसिंह भाटी ने बताया कि उन्होंने एक-दो दिन पहले जगह देखी है। जिला कलेक्टर के स्तर से तमाम औपचारिकताएं पूरी कर मंडी स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं।

वैधता अवधि पार कर चुके वाहन सड़क पर ना चलें : वृष्णि

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि वैधता अवधि पार कर चुके वाहन सड़क पर ना चले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऐसे वाहनों की जांच के लिए परिवहन और पुलिस को संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिला पर्यावरण समिति की बुधवार को आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कई पुराने ऑटो तथा अन्य वाहन सड़कों पर दिखते हैं जिनकी फिटनेस वैधता अवधि पार हो चुकी है। दोनों विभाग संयुक्त कार्यवाही कर इन वाहनों को सड़कों से हटवाना सुनिश्चित करें। पुराने कंडम हो चुके वाहन सार्वजनिक स्थानों पर ना मिले। वृष्णि ने सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए निगम और प्रदूषण संयुक्त कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि शहरी क्षेत्र में कुछ वार्ड तथा चयनित गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए जागरूकता गतिविधियां आयोजित करें।

- **पुराने कंडम हो चुके वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलने के निर्देश दिए**

बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक को संबोधित किया।

जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। साइलेंट जोन का चिन्हीकरण किया जाए। जिला कलेक्टर ने अवैध आरा मशीन की धरपकड़ आदि के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए कहा कि एक भी अवैध आरा मशीन ना चले इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए। मुखबिर सूचना तंत्र को मजबूत करें। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण तथा डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ डॉ एस शरथ बाबू ने गत बैठक के एजेंडा में हुई प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान सीएमएचओ डॉ राजेश गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित एवं निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा बैठक शुक्रवार प्रातः 11 बजे जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी।

मतदाता सूची में पात्रों के नाम जोड़े

बीकानेर,(कासं)। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिले के राजकीय तथा निजी विद्यालयों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई।

शिक्षा विभाग के स्वीप कार्यक्रम अधिकारी अनिल बोड़ा ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा उनके परिजनों एवं पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के लिए संदेश दिया गया।

उन्होंने बताया कि बीकानेर बॉयज स्कूल, नालंदा पब्लिक स्कूल, एम.एम. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरसागर बालिका विद्यालय, गुरुकुल विद्यालय, लक्ष्मीनाथ घाटी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, भीनासर स्थित जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीरामसर, राजकीय बालिका विद्यालय नत्थूसर बास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगा चिल्ड्रन सहित विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम हुए।

सार-समाचार

देवेन्द्र सारस्वत ने जीता गोल्ड मैडल

बीकानेर, (कासं)। जम्मू-कश्मीर स्थित शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आयोजित ऑल इंडिया पेनचाक सिलाट चैम्पियनशिप में राजस्थान राज्य खान व खनिज विभाग के देवेन्द्र कुमार सारस्वत ने नेशनल मैडल जीतकर खनिज विभाग और बीकानेर का मान बढ़ाया है। राजस्थान प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए देवेन्द्र कुमार सारस्वत ने 70 से 75 केजी भारवर्ग में सीनियर मास्टर मेल टेंडिंग फाइट इवेंट में नेशनल गोल्ड मैडल जीतकर इतिहास रच दिया। देवेन्द्र कुमार सारस्वत ने इस उपलब्धि का श्रेय स्टेट सेक्रेटरी पुरनमल जाट तथा इंडियन पेनचाक सिलाट फैडरेशन सीईओ मोहम्मद इकबाल सर को दिया है। देवेन्द्र कुमार सारस्वत के नेशनल मैडल जीतकर बीकानेर लौटने पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, राजस्थान राज्य खान व खनिज बीकानेर जिप्सम डिविजन इंचार्ज महाप्रबंधक देवी शंकर आचार्य, राजस्थान राज्य खान व खनिज कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश ओझा, जिप्सम शाखा अध्यक्ष ललित राज बनिया ने स्वागत अभिनंदन किया। वहीं कार्पोरेट कार्यालय शाखा महासचिव सत्यनारायण गुप्ता, लाइमस्टोन शाखा महामंत्री राहुल दवे, लिग्नाइट शाखा अध्यक्ष अनिल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पेनचाक सिलाट एसोसिएशन जोइंट सेक्रेटरी धनंजय सारस्वत, पेनचाक सिलाट समिति राजस्थान स्टेट जाइंट सेक्रेटरी भुनेश सैनी तथा नेशनल रेफरी अमित कुमार तथा भारतीय खनिज धातु मजदूर महासंघ व आरएसएमएम कर्मचारी संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता जताई है।

परिषद प्रशासक ने कार्यभार संभाला

हनुमानगढ़, (कासं)। नगर परिषद के प्रशासक नियुक्त किए गए अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने बुधवार सुबह टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद प्रशासक ने व्यवस्था देखी और अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों से एक्शन प्लान की जानकारी ली। प्रशासक ने कहा कि विकास कार्य समय अवधि में पूर्ण हों ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। नगर परिषद में आने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनकी समस्या के समाधान के लिए सहायक बनें न कि बाधक। समय पर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय समय में अन्यत्र न जाएं। गौरतलब है कि नगरीय निकाय के चुनाव टलने के बाद 32 सालों बाद नगर परिषद की कमान फिर से प्रशासक के हाथ में आई है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार देर रात आदेश जारी कर एडीएम उम्मेदी लाल मीणा को नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया। एडीएम उम्मेदी लाल मीणा ने कहा कि एसटीपी के जरिए ट्रीटेड पानी को किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। बकाया नगरीय टैक्स आदि को रिव्यू कर आय के स्त्रोत बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिकताओं से अवगत करवाते हुए प्रशासन मीणा ने कहा कि विकास कार्यों को समय अवधि में पूर्ण करवाया जाएगा।

अपहरण मामले में तीन साल की सजा

श्रीगंगानगर, (कासं)। घर के बाहर से 14 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण कर बंधक बनाने की घटना के मामले में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) के न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने एक आरोपी को मंगलवार को 3 वर्ष की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया। वहीं दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देकर आरोप मुक्त कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में यह घटना 29 मार्च को रात 9:30 बजे की है। एक 14 वर्षीय बालिका घर का दरवाजा बंद करने जा रही थी। वह घर के बाहर खड़ी थी। तभी पास के ही मकान में किराये पर रहने वाले दो युवक कलवंत पुत्र हेतराम निवासी चक 19 एनपी थाना रायसिंहनगर और राकेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी चक 6-एसकेएम थाना रावला उसका मुंह दबाकर अपने किराये के कमरे में ले गए। दोनों युवकों ने किशोरी के कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर नाखून गड़ा दिए। बालिका को परिवार वाले गली में तलाश करने लगे। तभी आरोपी युवकों ने बालिका को धमकाया कि वह कुछ भी नहीं बोले। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं उसे बाहर की तरफ बने बाथरूम में बंद कर दिया और बाथरूम का गेट बाहर से बंद कर दिया। बाद में इसी बाथरूम से बालिका को उसकी मां और आंटी ने बाहर निकाला।

पूरा पानी नहीं मिला तो किसानों का धरना

श्रीगंगानगर, (कासं)। किसान संगठनों के आव्हान पर गुरुद्वारा सिंहसभा में किसानों की बैठक हुई। इसमें पंजाब से पूरा पानी नहीं मिलने से हो रहे नुकसान सहित विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बोले कि मांगें पूरी नहीं की गई तो 2 दिसम्बर को महाराजा गंगासिंह व जिले के विधायकों व सांसद के घरों के आगे धरना लगाएंगे। किसान संगठनों के आव्हान पर मंगलवार दोपहर 12 बजे किसानों ने गुरुद्वारा सिंहसभा में बैठक की। इसमें किसानों ने पंजाब से पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंथन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंद्र सिंह गिल, ग्रामीण किसान मजदूर समिति के प्रवक्ता संतवीर सिंह मोहनपुरा व रामकुमार सहारण ने किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा करते हुए बताया कि पंजाब से आरडी 45 से खखां हैड पर 4600 वाल्व बीकानेर कैनाल में लगे हुए हैं।

- **महाराजा गंगासिंह व जिले के विधायकों व सांसद के घरों के आगे धरना लगाएंगे**

सड़क निर्माण की मंजूरी

बीकानेर, (कासं)। खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल की अभिशंसा पर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से नगरीय निकायों में होने वाली सड़क निर्माण के तहत खाजूवाला नगर पालिका क्षेत्र में 2 हजार 230 मीटर सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। विधायक डॉ. मेघवाल ने बताया कि नगर पालिका खाजूवाला में हॉस्पिटल रोड से तेरापंथ भवन की ओर साढ़े चार सौ मीटर सड़क निर्माण के लिए 27 लाख, वार्ड 5 में वोडाफोन टावर से लेकर श्याम बाबा के मंदिर तक 650 मीटर लंबी सड़क के लिए 18.85 लाख, छगन नायक के घर से निरंकारी भवन होते हुए मुख्य सड़क तक बनेगी।

प्रिंसिपल के साथ गाली-गलौच कर की मारपीट

हनुमानगढ़, (कासं)। यहां 2 एमडी स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज, मारपीट करने सहित स्कूल के रिकॉर्ड फेंकने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ तलवाड़ा थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूल में हुए इस घटनाक्रम का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया।

घटना के बाद से ही टीचर्स संगठनों और प्रिंसिपलों में खासा रोष व्याप्त हुआ था। जिसके चलते एसपी दफ्तर पहुंच सभी ने मंगलवार को आक्रोश प्रकट करते हुए मांग पत्र सौंपा था। तलवाड़ा पुलिस ने प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

- **लाठी के साथ ऑफिस में घुसे बदमाश**
- **मारपीट की घटना स्कूल में लगे कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है**

तलवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार चक दो एमडी के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल रतनलाल पुत्र साहबराम निवासी वार्ड 27 रावतसर हाल प्रिंसिपल महात्मा गांधी स्कूल 2 एमडी मेहरवाला दर्ज करवाते हुए बताया कि वे 23 नवम्बर की दोपहर करीब 2.30 बजे छठे पीरियड के दौरान कार्यालय में बैठकर राजकीय कार्य कर रहा था। उस समय कार्यलय में वरिष्ठ शिक्षक पवन कुमार भी मेरे साथ कार्य कर रहे थे। उसी दौरान भजन लाल भाट एवं गजानंद पुत्र गिरधारी लाल लाठी-डंडे लेकर कायलय में घुसे एवं उन पर जानलेवा हमला करते हुए अभद्रता एवं गाली-गलौज की। स्कूल रिकॉर्ड को फेंकते हुए अस्त-व्यस्त कर राजकार्य बाधित किया। अचानक हुई इस घटना से पूरा स्कूल स्टाफ सहमा हुआ है। ये पूरी मारपीट की घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

वेतन अधिकारी ही देंगे विदेश जाने की परमिशन

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अब विदेश जाने के लिए लम्बी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा कर सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन मिलता है, वो ही अधिकारी विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति देने के लिए अधिकृत रहेगा। इससे पहले सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारी को आवेदन करने के बाद जिला स्तर के अधिकारी के पास फाइल जाती थी। वहां से विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को आवेदन भेजा जाता था।

स्वीकृति के बाद ही कर्मचारी विदेश जा सकता था। इस कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी परेशान होते थे। अब राज्य के वित्त विभाग ने एक फॉरमेट जारी किया। इस फॉरमेट पर ही आवेदन करना होगा। इस परमिशन के लिए कर्मचारी को एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें ये विश्वास दिलाना होगा कि विदेश यात्रा के दौरान किसी तरह की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे और किसी से किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। विदेश से लौटने के बाद परमिशन देने वाले अधिकारी को सूचना देंगे।

मरू नवकिरण पत्रिका का लोकार्पण 1 को

बीकानेर,(कासं)। शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान के तत्वावधान में 1 दिसम्बर को अपरान्ह 4.15 बजे नत्थूसर गेट के बाहर लाली बाई बगेची से आगे मुरलीधर व्यास नगर रोड पर स्थित स्वामी सदन में डॉक्टर अजय जोशी के संपादन में प्रकाशित साहित्य, कला, संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका मरू नवकिरण के बहुआयामी साहित्यकार डॉ. शंकरलाल स्वामी पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण किया जायेगा। कार्यक्रम संयोजक राजाराम स्वर्णकार ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि कथाकार और संस्कृतिकर्मी राजेन्द्र जोशी करेंगे।

दो बाइक की भिड़ंत में घायल व्यक्ति की मौत

हनुमानगढ़, (कासं)। टाउन थाना क्षेत्र के गांव भोमपुरा के नजदीक दो बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में बाइक सवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

पुलिस के अनुसार सुरेन्द्र कुमार (45) पुत्र रामस्वरूप जाट निवासी वार्ड 8, गांव चाईया तहसील रावतसर ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उसका चचेरा भाई कृष्ण पुत्र मुखराम जाट निवासी चाईया मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे गांव चाईया से अपने खेत की तरफ बाइक लेकर जा रहा था।

- **गांव भोमपुरा के नजदीक हुआ हादसा, बाइक सवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज**

रास्ते में भोमपुरा माइनर से निकलते ही सामने से आ रही दूसरी बाइक पर सवार शेरसिंह पुत्र रामकरण मेघवाल निवासी भोमपुरा ने तेज व लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसके चचेरे भाई कृष्ण की बाइक को टक्कर मार दी।

इससे कृष्ण को चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रावतसर के सरकारी अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान कृष्ण की मौत हो गई। टाउन थाना पुलिस ने रावतसर के गवर्नमेंट अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव का पोस्टमॉर्टम करवा परिजनों को सौंप दिया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। जिले के नोखा तहसील के सोमलसर गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर अपने खातों में लाखों रूपये डलवाने का मामला सामने आया है। जिसके विरोध में गांव के अनेक लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपते हुए फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्ट व कूटरचित दस्तावेज पेशकर फसल की बीमा का मुआवजा अपने खातों में डलवा लिया। इतना ही नहीं इस इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने ई मित्र संचालकों के साथ मिलकर कृषि भूमि के दस्तावेज भी अपने नाम करवा लिए बताया जा रहा है कि इन सब ने मिलकर करीब 8 लाख 14 हजार 980 रूपये का गबन किया है जिसकी जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मदनलाल व उसके भाई भंवरलाल ने अन्यजनों के साथ मिलकर गांव के काफी लोगों के फर्जी सहमति पत्र, शपथ पत्र, फर्जी बुवाई प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी राशि का गबन किया है। इतना ही नहीं इन दोनों ने कोमन सर्विस सेन्टर संचालक रामेश्वर लाल सारण के साथ मिलकर खेतों का फर्जी फसल बीमा करवा लिया है। बताया जा रहा है कि श्रीराम जाट के नाम से गांव में पुश्तैनी जमीन है। जिसका खाता संख्या 271 खेत खसरा नं 1061 और 1063 है। जिसमें गांव के डिपो संचालक मदनलाल सारण फर्जी बंटाईदार बनकर रबी फसल 2021 का फसल बीमा करवाकर क्लेम अपने खातों में डलवा लिया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया।

- **नोखा तहसील के सोमलसर गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर अपने खातों में लाखों रूपये डलवाने का मामला सामने आया**
- **इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने करीब 8 लाख 14 हजार 980 रूपये का गबन किया**

अनूपगढ़ में 37.09 प्रतिशत छात्रों की बनी अपार आई.डी.

अनूपगढ़, (कासं)। राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को एकीकृत शैक्षणिक पहचान देने के उद्देश्य से अपार आईडी योजना शुरू की गई है। जिसमें अनूपगढ़ जिले में 37.09 प्रतिशत छात्रों की अपार आई बन चुकी है। जिले में चार ब्लॉक है, जिनमें सबसे ज्यादा रायसिंहनगर और सबसे कम घड़साना ब्लॉक में अपार आईडी बनी है।

डीईओ जितेंद्र कुमार बठला ने बताया कि ये योजना एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी की अवधारणा पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे यूडाइस पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाएगा।

अनूपगढ़ पूरे राज्य में छात्रों की आईडी बनाने में चौथे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर राजसमंद 44.5 प्रतिशत, दूसरे स्थान पर डूंगरपुर 40.4 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर दूदू 37.7 प्रतिशत पर हैं।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com, Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2024/3734 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 26.11.2024
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 04 साईज 25 इन्टू 60 फीट, भूखण्ड संख्या वीसी-52, विद्युत कॉलोनी, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 653 दिनांक 13.12.2000 को श्री पूरन चन्द पुत्र श्री शंकर दास के नाम से जारी किया हुआ है। श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री नितेश भारद्वाज निवासी म.न. 65 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.08.2019 के द्वारा क्रय कर स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे का समर्पण कर लीज होल्ड से फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राजस्थान)
क्रमांक:- नियमन/2024/3735 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 26/11/2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश राय जोशी निवासी चक 5 ई छोटी, नाईयांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकॉर्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है : -

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 4 में माप 30 इन्टू 45 फीट में से उपविभाजित माप 30 इन्टू 22.6 फीट भूखण्ड संख्या ए-05 (बी), नाईयांवाली श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड नियमन पट्टा सं. 1811 दिनांक 06-04-2002 को श्री जगदीश राय पुत्र श्री प्रभुदयाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री जगदीश राय जोशी की मृत्यु दिनांक 14-09-2020 के उपरांत श्री रामनारायण शर्मा द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा 08-01-2020 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामांतरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है। इस सम्बन्ध श्री रामनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश राय जोशी निवासी चक 5 ई छोटी, नाईयांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/ फ्री लीज होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन संख्या : SGNR/FY24-25/MUT/1076 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़
क्रमांक- 6728-6729 **लोक सूचना** दिनांक- 26.11.2024
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खातेदार में (1) श्री मनीष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 15, पीलीबंगा (2) श्रीमती सुखदेव कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह एवं पुत्री श्री मोहन लाल जाति शाहपीनी हाल आबाद हनुमानगढ़ जंक्शन (3) श्रीमती रूपकमल पत्नी श्री दलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये मुखत्यारआम श्री दीपक सिंगल पुत्र श्री रमेश सिंगल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 25, श्रीगंगानगर (4) श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री परविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये मुखत्यारआम श्री दीपक सिंगल पुत्र श्री रमेश सिंगल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 25, श्रीगंगानगर (5) श्रीमती अमृतकौर पुत्री श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये मुखत्यारआम परविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन (6) श्री रामप्रसाद बंसल पुत्र श्री गौरी शंकर जाति अग्रवाल निवासी सूरतगढ़ जरिये मुखत्यारआम श्री दीपक सिंगल पुत्र श्री रमेश सिंगल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 25, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

जिला - तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पत्थर नं.	क्षेत्र
तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़	चक नं. 49 एनजीसी	123/258 मु.नं. 10 किला नं. 6/0.022, 15/0.025 एवं पत्थर नं. 124/258 मु.नं. 11 किला नं. 8//0.187, 9/0.215, 10/0.215, 11/0.253, 12/0.253/, 13/0.247, 14/0.207	कुल 1.624 हैक्टेयर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़